



**NEERAJ®**

**M.H.I. -4**

**भारत में राजनैतिक संरचनाएँ**

**( Political Structures in India )**

**Chapter Wise Reference Book  
Including Many Solved Sample Papers**

*Based on*

**I.G.N.O.U.**

**& Various Central, State & Other Open Universities**

*By: Naveen Kumar Mishra, M.A., Ph.D.*



**NEERAJ  
PUBLICATIONS**

*(Publishers of Educational Books)*

Retail Sales Office:

1507, First Floor, Nai Sarak, Delhi - 6 | Mob.: 8510009872, 8510009878

E-mail : [info@neerajbooks.com](mailto:info@neerajbooks.com) Website : [www.neerajbooks.com](http://www.neerajbooks.com)

**MRP ₹ 350/-**

Published by:



## NEERAJ PUBLICATIONS

(Publishers of Educational Books)

Retail Sales Office: 1507, First Floor, Nai Sarak, Delhi - 6 | Mob.: 8510009872, 8510009878

E-mail : [info@neerajbooks.com](mailto:info@neerajbooks.com) Website : [www.neerajbooks.com](http://www.neerajbooks.com)

© Copyright Reserved with the Publishers only.

**Reprint Edition with Updation of Sample Question Paper Only**

Typesetting by: Competent Computers, Printed at: Novelty Printing Press

### Disclaimer/T&C

1. For the best & up-to-date study & results, please prefer the recommended textbooks/study material only.
2. This book is just a Guide Book/Reference Book published by NEERAJ PUBLICATIONS based on the suggested syllabus by a particular Board/University.
3. These books are prepared by the author for the help, guidance and reference of the student to get an idea of how he/she can study easily in a short time duration. Content matter & Sample answers given in this Book may be Seen as the Guide/Reference Material only. Neither the publisher nor the author or seller will be responsible for any damage or loss due to any mistake, error or discrepancy as we do not claim the Accuracy of these Solutions/Answers. Any Omission or Error is highly regretted though every care has been taken while preparing, printing, composing and proofreading of these Books. As all the Composing, Printing, Publishing and Proof Reading, etc., are done by Human only and chances of Human Error could not be denied. Any mistake, error or discrepancy noted may be brought to the publishers notice which shall be taken care of in the next edition and thereafter as a good gesture by our company he/she would be provided the rectified Book free of cost. Please consult your Teacher/Tutor or refer to the prescribed & recommended study material of the university/board/institute/ Govt. of India Publication or notification if you have any doubts or confusions regarding any information, data, concept, results, etc. before you appear in the exam or Prepare your Assignments before submitting to the University/Board/Institute.
4. In case of any dispute whatsoever the maximum anybody can claim against NEERAJ PUBLICATIONS is just for the price of the Book.
5. The number of questions in NEERAJ study materials are indicative of general scope and design of the question paper.
6. Any type of ONLINE Sale/Resale of "NEERAJ BOOKS" published by "NEERAJ PUBLICATIONS" in Printed Book format (Hard Copy), Soft Copy, E-book on any Website, Web Portals, any Social Media Platforms – Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, LinkedIn etc. and also on any Online Shopping Sites, like – Amazon, Flipkart, eBay, Snapdeal, Meesho, Kindle, etc., is strictly not permitted without prior written permission from NEERAJ PUBLICATIONS. Any such online sale activity of any NEERAJ BOOK in Printed Book format (Hard Copy), Soft Copy, E-book format by an Individual, Company, Dealer, Bookseller, Book Trader or Distributor will be termed as ILLEGAL SALE of NEERAJ BOOKS and will invite legal action against the offenders.
7. The User agrees Not to reproduce, duplicate, copy, sell, resell or exploit for any commercial purposes, any portion of these Books without the written permission of the publisher. This book or part thereof cannot be translated or reproduced in any form (except for review or criticism) without the written permission of the publishers.
8. All material prewritten or custom written is intended for the sole purpose of research and exemplary purposes only. We encourage you to use our material as a research and study aid only. Plagiarism is a crime, and we condone such behaviour. Please use our material responsibly.
9. All matters, terms & disputes are subject to Delhi Jurisdiction only.

### Get books by Post & Pay Cash on Delivery :

If you want to Buy NEERAJ BOOKS by post then please order your complete requirement at our Website [www.neerajbooks.com](http://www.neerajbooks.com) where you can select your Required NEERAJ BOOKS after seeing the Details of the Course, Subject, Printed Price & the Cover-pages (Title) of NEERAJ BOOKS.

While placing your Order at our Website [www.neerajbooks.com](http://www.neerajbooks.com) You may also avail the “Special Discount Schemes” being offered at our Official website [www.neerajbooks.com](http://www.neerajbooks.com).

No need to pay in advance as you may pay “Cash on Delivery” (All The Payment including the Price of the Book & the Postal Charges, etc.) are to be Paid to the Delivery Person at the time when You take the Delivery of the Books & they shall Pass the Value of the Goods to us. We usually dispatch the books Nearly within 2-3 days after we receive your order and it takes Nearly 3-4 days in the postal service to reach your Destination (In total it take nearly 6-7 days).

## Content

# भारत में राजनैतिक संरचनाएँ ( Political Structures in India )

### Question Bank – (Previous Year Solved Question Papers)

Question Paper—June-2023 (Solved) .....	1-2
Question Paper—December-2022 (Solved) .....	1-3
Question Paper—Exam Held in March-2022 (Solved) .....	1-3
Question Paper—Exam Held in August-2021 (Solved) .....	1-4
Question Paper—Exam Held in February-2021 (Solved) .....	1-3
Question Paper—December, 2019 (Solved) .....	1
Question Paper—June, 2019 ( Solved ) .....	1
Question Paper—December, 2018 ( Solved ) .....	1-4
Question Paper—June, 2018 ( Solved ) .....	1-2
Question Paper—December, 2017 ( Solved ) .....	1-2
Question Paper—June, 2017 ( Solved ) .....	1-2

<i>S.No.</i>	<i>Chapterwise Reference Book</i>	<i>Page</i>
--------------	-----------------------------------	-------------

### प्रारम्भिक राज्य संरचना

1. राज्य से पूर्व से राज्य तक .....	1
2. क्षेत्रीय राज्य से साम्राज्य तक .....	11
3. दूसरी सदी ई.पू. से तीसरी सदी ई. तक की राजनैतिक प्रणालियाँ .....	19
4. तीसरी शताब्दी से छठी शताब्दी तक की राजनैतिक प्रणालियाँ .....	26

### प्रारम्भिक मध्यकालीन भारत में राज्य

5. उत्तर भारत में सातवीं से बारहवीं शताब्दी ई. के दौरान .....	40
प्रारम्भिक मध्यकालीन राजनैतिक पद्धतियाँ	

S.No.	Chapterwise Reference Book	Page
6.	छठी से आठवीं शताब्दी ई. में प्रायद्वीपीय भारत में प्रारम्भिक मध्यकालीन राजनैतिक पद्धतियाँ	52
7.	8वीं से 12वीं शताब्दी ई. में प्रायद्वीपीय भारत में प्रारम्भिक मध्यकालीन राजनैतिक पद्धतियाँ	58
<b>मध्यकालीन राज्य</b>		
8.	दिल्ली सल्तनत के अन्तर्गत राज्य	65
9.	विजयनगर, बहमनी और दूसरे राज्य	70
10.	मुगल राज्य	78
11.	अठारहवीं शताब्दी के उत्तराधिकारी राज्य	86
<b>औपनिवेशीकरण ( भाग-1 )</b>		
12.	अठारहवीं सदी की राज्य व्यवस्थाएँ	97
13.	औपनिवेशिक शक्तियाँ : पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी	105
14.	ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य	113
15.	राजसी राज्य या रियासतें	123
<b>प्रशासनिक एवं संस्थागत संरचनाएँ</b>		
16.	प्रायद्वीपीय भारत में प्रशासनिक एवं संस्थागत संरचनाएँ	130
17.	उत्तर भारत में प्रशासनिक एवं संस्थागत संरचनाएँ	140
18.	विधि एवं न्यायिक पद्धति	149
<b>प्रशासनिक एवं संस्थात्मक संरचनाएं</b>		
19.	दिल्ली सल्तनत	153

<i>S.No.</i>	<i>Chapterwise Reference Book</i>	<i>Page</i>
20.	विजयनगर, बहमनी और दूसरे राज्य .....	161
21.	मुगल साम्राज्य .....	167
22.	18वीं शताब्दी के उत्तराधिकारी राज्य .....	174
<b>औपनिवेशीकरण ( भाग-2 )</b>		
23.	ब्रिटिश राज की विचारधाराएँ .....	179
24.	गतिविधियाँ .....	187
25.	संसाधन .....	198
26.	औपनिवेशिक हस्तक्षेप का विस्तार : शिक्षा और समाज .....	203
27.	औपनिवेशिक राज्य का अंत : जनतांत्रिक राज्य-व्यवस्था की स्थापना .....	207



**Sample Preview  
of the  
Solved  
Sample Question  
Papers**

*Published by:*



**NEERAJ  
PUBLICATIONS**

[www.neerajbooks.com](http://www.neerajbooks.com)

# QUESTION PAPER

June – 2023

(Solved)

भारत में राजनैतिक संरचनाएँ  
( Political Structures in India )

M.H.I.-4

समय : 3 घण्टे |

| अधिकतम अंक : 100

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग में से कम-से-कम दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

## भाग-I

प्रश्न 1. प्रारम्भिक ऐतिहासिक काल में तमिलकम में उदित मुखिया तंत्र की प्रकृति की चर्चा कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-1, पृष्ठ-4, प्रश्न 2

प्रश्न 2. प्रायद्वीपीय भारत में 6-8वीं शताब्दियों के मध्य की राजनीतिक प्रक्रियाओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-6, पृष्ठ-53, प्रश्न 2

प्रश्न 3. दिल्ली सल्तनत के अधीन राज्य की प्रकृति के संबंध में हाल में विद्वानों द्वारा वर्णित विचारों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-8, पृष्ठ-66, प्रश्न 2

प्रश्न 4. औपनिवेशिक राज्य द्वारा भारत में अपने शासन को वैधता प्रदान करने के लिए उनके द्वारा क्या विभिन्न तरीके अपनाए गए?

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-14, पृष्ठ-115, प्रश्न 2

प्रश्न 5. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए-

(क) कुषाण राज्य

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-3, पृष्ठ-19, प्रश्न 1

(ख) उत्तर-गुप्त साम्राज्य के सामन्त

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-17, पृष्ठ-142, प्रश्न 2

(ग) अवध

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-11, पृष्ठ-93, प्रश्न 2

(घ) डच व्यापार की प्रकृति तथा पैटर्न

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-13, पृष्ठ-108, प्रश्न 2

## भाग-II

प्रश्न 6. मौर्य शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं?

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-17, पृष्ठ-140, प्रश्न 1

प्रश्न 7. मुगलों के अधीन मनसब व्यवस्था के विकास का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-21, पृष्ठ-167, प्रश्न 1

प्रश्न 8. प्राच्यवादियों तथा इंजीलवादियों की भारत संबंधी समझ पर चर्चा कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-23, पृष्ठ-179, प्रश्न 1

प्रश्न 9. भारत में औपनिवेशिक राज्य द्वारा स्थापित भू-बन्दोबस्तों की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-25, पृष्ठ-198, प्रश्न 1

प्रश्न 10. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए-

(क) संगम राज्यव्यवस्था

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-16, पृष्ठ-134, प्रश्न 2

(ख) नायक प्रणाली

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-20, पृष्ठ-161, प्रश्न 1

(ग) मुर्शिद कुली खान

उत्तर-मुर्शिद कुली खान के द्वारा जो राजस्व सुधार लागू किए गए, उसके परिणामस्वरूप राजस्व की मांग बढ़ी तथा माप द्वारा वसूली की गई और इस तरह से दिल्ली को भेजे जाने वाले देय में वृद्धि हुई, जो सम्राट के आदेशानुसार हुआ। यह जमींदारों, जागीरदारों तथा दूसरों पर नियंत्रण के लिए भी किया गया, क्योंकि वे केन्द्र को राजस्व से वंचित रख रहे थे। बंगाल के मनसबदारों की जागीरें उड़ीसा में हस्तांतरित करना और परिणामस्वरूप बंगाल की इन जमीनों का खालिसा, जिसे उड़ीसा की जमीनों की अपेक्षा उनसे अधिक राजस्व प्राप्त होता था, के अधीन कर दिया गया। इस तरह वसूला हुआ राजस्व सीधे राज्य के खजाने में जाने लगा। जमींदारों द्वारा की गई वसूली की जाँच करके और यह सुनिश्चित करके कि राजस्व की अदायगी राज्य की मांग के अनुसार हो, नाजिम उन पर अपना नियंत्रण मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। जागीर जमीनों को खालिसा के अधीन लाकर वह राजस्व के सही आकलन को सुनिश्चित कर सका और अधिकारों को वास्तविक भूमि-सर्वेक्षण के द्वारा राजस्व देने की क्षमता का पता लगाने के लिए भेजा गया।

हालाँकि निजाम ने सर्वेक्षण और जाँच करने के काम अपने अधिकारियों द्वारा एवं जमींदारों द्वारा अदा किए जा रहे राजस्व के विषय में पता लगाने के लिए करवाये, लेकिन जैसा कि समकालीन साक्ष्यों में उल्लेख मिलता है, यह काम गाँव के स्तर पर नहीं किया जा सका और प्रांतीय शासन के प्रयास जमींदारों और मध्यस्थ धारकों को राजस्व के सही आकलन और संग्रहण के लिए जवाबदेह बनाने के लिए था। जमींदारी सनदों, राजस्व आलेख या दस्तावेज में उल्लेख केवल जमींदारी स्तर तक का मिलता है, गाँव के स्तर का नहीं। अतः नाजिम की नीतियों का लक्ष्य जमींदारों और निचले मध्यस्थ भू-घटकों को नियंत्रित करना था और किसानों पर इनका केवल अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा था। इस स्थिति में जो जमींदार राज्य की मांग को पूरा नहीं कर पाता था, उसे उसकी भूमि से वंचित कर दिया जाता था और जमीन को या तो राज्य ले लेता था अथवा महाजन या उन योग्य और वफादार जमींदारों को दे दी जाती थी, जो राज्य की मांग को पूरा कर सकते थे।

कुछ जमींदारों को दूसरों की जमींदारियों को अपने नियंत्रण में लेने और बड़ी जमींदारियाँ बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया और नाजिम द्वारा उनको अनुदान के तौर पर जमीनें भी दी जाती थीं। 1700-1722 के बीच राजशाही एक बड़ी जमींदारी के रूप में विकसित हुई थी। इस काल में दिनाजपुर, नादिया और बर्दवान भी बड़ी जमींदारियों के रूप में उभरकर सामने आए थे। 1727 तक वसूले गए राजस्व का आधा हिस्सा उस काल की बड़ी जमींदारियों से वसूला गया। नाजिम की नीतियों ने उन जमींदारों को बेदखल कर दिया था, जो अपने देय समय से अदा नहीं कर पाए थे। जिन जमींदारों ने राज्य के खजाने में तत्परता से भुगतान किया, उनको राज्य द्वारा सम्मानित किया गया। प्रांत में बैंकों और साहूकारों के साथ जमींदार आर्थिक और राजनैतिक रूप से एक शक्तिशाली समूह के रूप में उभरे थे। 'रिसाला-ए-जिरात' में उन महाजनों का जिक्र मिलता है, जो जमींदारों को कर्ज देते थे, ताकि वे नाजिम को राजस्व अदा कर सकें। अनेक मामलों में जमींदार कर्ज के चक्र में खासतौर पर इस कारण फंस जाते थे कि समय से राजस्व का भुगतान न करने वाले जमींदारों के प्रति नाजिम सख्त रवैया अपनाता था। नाजिम की राजस्व नीतियों से जगत सेठ के बैंकिंग घराने को अपार लाभ हुआ था। उन्होंने शक्तिशाली और बड़ा बैंकिंग प्रतिष्ठान स्थापित कर लिया और नाजिम की सहायता से 18वीं शताब्दी के तीसरे दशक से प्रांतीय सरकार के वित्तीय लेन-देन के संरक्षक बन गए। वे राजस्व अदा न कर पाने वाले जमींदारों को ब्याज पर कर्ज देते थे और भारी मुनाफा कमाते थे। बड़े जमींदारों की ओर से वे राज्य को ऋणाधार भी देते थे कि चाहे वसूली हो या नहीं और आर्थिक स्थिति चाहे जो भी हो, राजस्व समय से अदा किया जाएगा। शीर्ष पर बड़े जमींदारों और सबसे नीचे छोटे जमींदारों के साथ एक पदानुक्रम में एक स्तरीकृत व्यवस्था मौजूद थी। यही स्थिति साहूकारों की भी थी। छोटे साहूकार छोटे जमींदारों की जरूरतें पूरी करते थे और बड़े साहूकार बड़े जमींदारी की। जिस

काल में मुर्शीद कुली खाँ बंगाल में नाजिम के पद पर था, उस काल में केन्द्र (मुगल) की सत्ता लगातार कमजोर होती गई और इससे प्रांतीय मामलों में उसे अधिक स्वायत्तता का अवसर प्राप्त हुआ। अपने रिश्तेदारों और वफादारों को नियुक्त करके और विरोधी मनसबदारों को हटाकर उसने अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की। बड़े जमींदार उसके समर्थक थे, क्योंकि उसने उनकी जमींदारियों के विस्तार की इजाजत दी थी और जब तक वे समय से अपने कर देते रहे, राज्य उनकी गतिविधियों की जाँच नहीं करता था। साहूकारों और महाजनों को फायदा पहुँचा था। इस मामले में उन्हें राज्य का समर्थन प्राप्त था।

मुर्शीद कुली खाँ ने बंगाल में अपने पैर मजबूती से जमा लिए थे। उसने जिस निजामत को बनाया था, उसे वह अपने वंश के किसी व्यक्ति को देना चाहता था। बंगाल की स्वायत्तता की यह अभिव्यक्ति थी, क्योंकि अब प्रांत की महत्वपूर्ण नियुक्तियों के मामले में केन्द्र की भूमिका नगण्य थी। मुर्शीद कुली खाँ के उत्तराधिकारी और उसके दामाद शुजाउद्दीन के समय में केन्द्र और प्रांत के बीच के सम्बन्ध बहुत ही कमजोर हो गए थे। उसके पास अपने ससुर जैसी कुशाग्र बुद्धि नहीं थी, लेकिन फिर भी वह एक कुशल प्रशासक था और उसके काल में साम्राज्य का राजस्व दिल्ली को हमेशा प्राप्त होता रहा था।

#### (घ) हंटर कमीशन

उत्तर-सन् 1880 में लार्ड रिपिन को भारत का गवर्नर-जनरल मनोनीत किया गया था। उस समय उन्होंने भारतीय शिक्षा के विषय में (1832 में) एक कमीशन गठित किया गया, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया। विलियम हंटर की अध्यक्षता में आयोग का गठन होने के कारण इसका नाम हंटर कमीशन पड़ा। इसकी प्रमुख बातों में शामिल हैं—प्राथमिक शिक्षा व्यावहारिक हो, प्राथमिक शिक्षा देशी भाषा में हो, शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा विभाग स्थापित हों, धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन न दिया जाए, बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो, अनुदान सहायता छात्र-शिक्षक की संख्या व जरूरत के अनुपात में दिया जाए, देशी शिक्षा के पाठ्यक्रम बदलाव न करके पूर्ववत् चलने दिया जाए।

हंटर आयोग के सुझाव थे—प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, सहायता अनुदान व्यवस्था, स्त्री शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, आदिवासी व पर्वतीय जातियों की शिक्षा (लोक भाषा में शिक्षा), देशी पाठशालाओं (पंडितों तथा मौलवियों के विद्यालयों को मान्यता तथा अनुदान किया जाए। उच्च तथा निम्न सभी प्रकार के देशी विद्यालयों को सरकार प्रोत्साहन दे। विद्यालय के निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाए। इस आयोग के तहत दो विश्वविद्यालयों—पंजाब विश्वविद्यालय (1882 ई.) तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय (1887 ई.) की स्थापना हुई। इस आयोग ने शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीयों को देने का सुझाव दिया, जिससे देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। ■■



# Sample Preview of The Chapter

*Published by:*



**NEERAJ  
PUBLICATIONS**

[www.neerajbooks.com](http://www.neerajbooks.com)

# भारत में राजनैतिक संरचनाएँ ( Political Structures in India )

प्रारम्भिक राज्य संरचना

राज्य से पूर्व से राज्य तक

1

परिचय

भारत की राजनैतिक संरचनाओं का अध्ययन एक अत्यधिक महत्वपूर्ण और कठिन विषय है। राजनैतिक प्रणालियाँ विभिन्न संघटक तत्वों से जुड़ी होती हैं, जैसे-प्रशासनिक, संस्थागत व्यवस्था आदि। इस अध्याय में इन संघटक तत्वों के अध्ययन पर भी बल दिया गया है। भारत में राज्यों का जन्म किस प्रकार हुआ, इस बात का पता लगाना अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विषय है और साथ ही इस सन्दर्भ में विद्वानों के बीच पर्याप्त मतभेद व्याप्त है। इस अध्ययन से हमें राज्य से पहले की और उसके बाद की प्रणाली, अविकसित तथा विकसित प्रणाली, अपरिपक्व तथा परिपक्व प्रणाली के बीच के भेदों को समझने में मदद मिलेगी। प्राचीन भारतीय राज्य प्रणाली में वंशानुगत राज्य अथवा राजतंत्र की व्यवस्था प्रचलित थी। लेकिन इस काल में राजतंत्र के अलावा गण संघ और पूर्ण रूप से विकसित राज्यतंत्र भी थे, जो एक महत्वपूर्ण बात है। भारत के प्राचीन राज्यों की संरचना के पीछे कृषि तथा सामाजिक भेदभाव आदि जैसी सामाजिक-आर्थिक संरचनाओं का हाथ था। भारत के प्राचीन राज्यों की संरचना के स्वरूप को निर्धारित करने में ब्राह्मणवाद, वर्णवाद आदि विचारधाराओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अर्थशास्त्र जैसे प्राचीनतम साहित्य में प्राचीन राज्य व्यवस्था में प्रचलित राजा, कोष, सैन्यबल आदि

विशेषताओं का वर्णन मिलता है। राज्य की इन विशेषताओं का चलन आधुनिक राज्य प्रणाली में भी देखा जा सकता है, जिन्हें हम संस्थागत या प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। दिल्ली में सल्तनत और मुगल राज्य की स्थापना के परिणामस्वरूप राज्य प्रणाली में बहुत सारी प्रशासनिक विशेषताओं का जन्म हुआ। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों के शासन और औपनिवेशिक राज्य की स्थापना के कारण भी राजनैतिक व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की पाश्चात्य राजनैतिक अवधारणाओं एवं संरचनाओं का विकास हुआ।

राज्यों का अध्ययन प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता रहा है। प्राचीन काल के भारत की राजनैतिक संरचनाओं का अध्ययन करने से पता चलेगा कि उस समय राज्य का जन्म किस प्रकार हुआ। इस अध्याय में मूलतः राज्य के विकास और उसकी संरचना के अध्ययन पर बल दिया गया है। साथ ही राजनैतिक प्रणाली और राज्य से पहले के समाजों के बीच के अन्तर को भी जानने का प्रयास किया गया है। अतः इस अध्याय में राज्य की विशेषताओं का अध्ययन करने के साथ-साथ राज्य और उसके पहले के समाजों का अन्तर भी बताया गया है।

इस अध्याय में प्राचीन भारत में राज्य से पूर्व से राज्य में संक्रमण किस प्रकार हुआ, इसकी चर्चा की गई है। यह माना जाता है कि

2 / NEERAJ : भारत में राजनैतिक संरचनाएँ

हड़प्पा के समय में राज्य का अस्तित्व कायम था। किन्तु पर्याप्त सामग्री उपलब्ध न होने के कारण हड़प्पा राज्य की प्रकृति के विषय में जानकारी प्राप्त करना मुश्किल है। प्रारम्भिक वैदिक युग वंश-आधारित समाज पर कायम था। परवर्ती वैदिक युग में वंश समाज और गण संघ जैसी अपरिपक्व राजनैतिक प्रणाली और राजतंत्र जैसी परिपक्व राजनैतिक प्रणाली के मध्य की संक्रमण काल की अवस्था पाई जाती है। दक्षिण भारत में कबीलाई संगठन की विशेषता वाली राजनैतिक संरचना विद्यमान थी। सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक प्रणाली में विभेदीकरण और स्तरीकरण नहीं था। अतः हम कह सकते हैं कि यह राज्य से पूर्व की सामाजिक संरचना थी।

प्रारम्भिक भारत में राज्य के संक्रमण सम्बन्धी हमें जो भी जानकारी प्राप्त हुई है, वह विद्वानों के वर्षों के अध्ययन और शोध पर आधारित है। उस समय के राज्य की गूढ़ और जटिल संरचनाओं की जानकारी हमें इसके अध्ययन से प्राप्त होती है। सैद्धांतिक रूप में राज्य कोई सार्वभौम अथवा सर्वव्यापी संस्था नहीं है, जो किसी भी ऐतिहासिक काल के समाज में पाई जाती हो। राज्य मात्र विभेदपूर्ण अर्थव्यवस्था व स्तरीय राज्य समाज में पाई जाती है। इसके फलस्वरूप निम्नलिखित अवधारणाओं का विकास हुआ है—

अस्तरीकृत समाज पूर्व राज्य समाज है, राज्य का जन्म बाहर से नहीं हुआ है, राज्य अनिवार्य रूप से स्वतः ही अस्तित्व में आया है, राज्य न तो विलीन होता है और न ही प्रत्यारोपित। गौण राज्य संरचना की अवधारणा भी गलत है। अब सबसे महत्वपूर्ण विचारणीय बात यह है कि राज्य की उपस्थिति या अनुपस्थिति के विषय में पूर्वानुमान क्या सामाजिक संरचना की प्रकृति से निर्धारित होता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वर्गीकृत समाजों में राजनैतिक प्रक्रियाओं के संस्थागत प्रतिफल के रूप में राजशाही और साम्राज्य के रूप में राज्य उत्पन्न हुए थे। इसी कारण प्राचीन काल के राज्य वंशानुगत शासन या राजतंत्र के प्रतिरूप थे और अगर हम राज्य संरचना के इतिहास का अध्ययन करें, तो हमें पता चलता है कि कबीलाई तंत्र राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया है।

यह सर्वमान्य बात है कि उत्तर भारत में राज्य के पहले के राज्य में जो संक्रमण हुआ था, वह सहस्राब्दी ई.पू. में हुआ था। यह परिवर्तन दक्षिण भारत में बहुत बाद में छठी सदी ईसवी में हुआ था। विजय सिद्धान्त के अध्ययन से यह पता चलता है कि आर्यों को जब विजय प्राप्त हो गई और जब उनका अधिकार स्थानीय मूल समाज पर स्थापित हो गया तब राज्य अस्तित्व में आया। अगर हम आंतरिक

स्तरीकरण के सिद्धान्तों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि जातीय संरचना भी स्तरीकरण की ही प्रणाली है और इसके शासक वर्ग क्षत्रिय थे और 'विश' खेतिहर थे। जहाँ तक उत्तर भारत में राज्यों के उदय का प्रश्न है, वहाँ राज्यों का जन्म समाज में क्षत्रियों को ऊँचा स्थान प्राप्त होने के कारण हुआ। इस कारण राज्य प्रणाली में संक्रमण के लिए स्तरीकरण एक महत्वपूर्ण घटना है। दक्षिण भारत में सामाजिक स्तरीकरण और संरचना की प्रकृति अलग प्रकार की थी। जब स्तरीकरण में मतभेद और तनाव पैदा होते हैं, तब उनके समाधान और नियंत्रण के लिए 'शक्ति' की आवश्यकता होती है। राज्य की उत्पत्ति के पीछे कृषि अर्थव्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अतिरिक्त राज्य की संरचना के विकास में जनसंख्या वृद्धि और सामाजिक सीमाबद्धता के योगदान को भी नकारा नहीं जा सकता। राज्य संरचना का दूसरा महत्वपूर्ण घटक सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता है। इसी तरह राज्य की उत्पत्ति में व्यापार तथा नगरीय केन्द्रों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजनैतिक प्रणाली के अन्तर्गत एक क्षेत्र पर राजनैतिक शक्ति का अधिकार होता है, जिसके कार्यों का संचालन वह अपने अधिकारियों के द्वारा करवाती है। राज्य को विभिन्न प्रबंधन कार्यों का सम्पादन करना होता है जिसके लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। इन संसाधनों के लिए राज्य को राजस्व का संकलन करना होता है। इस प्रकार, उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक तथा आर्थिक विभेदीकरण राज्य संरचना प्रक्रिया के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न है।

**स्वपरख—अभ्यास—प्रश्न**

**प्रश्न 1. उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा परवर्ती वैदिक काल में सामाजिक एवं राजनैतिक सम्बन्ध जटिल हो गए थे।**

**उत्तर—**परवर्ती वैदिक काल के ग्रन्थों के अध्ययन से यह पता चलता है कि इस काल में सामाजिक एवं राजनैतिक सम्बन्ध बहुत ही जटिल हो गए थे। उस काल के पुरोहितों तथा उनके संरक्षकों ने प्रसिद्ध राजसूय, वाजपेय तथा अश्वमेध जैसे जटिल अनुष्ठानों के द्वारा उन्हें नियंत्रित करने के प्रयास किए थे। ऋग्वेद में वर्ण वर्गों का उल्लेख नहीं है, जो हमेशा ही एक चर्चा का विषय रहा है। ठीक इसके विपरीत परवर्ती वैदिक ग्रन्थों में वर्णों के बीच के आदर्श सम्बन्धों, मुख्य रूप से प्रथम तीन वर्णों की चर्चा की गई है। इस

काल में जहाँ एक ओर ब्राह्मण और क्षत्रिय राजाओं के बीच में प्रतिस्पर्धा और तनाव व्याप्त था तो दूसरी ओर एक-दूसरे की आवश्यकता की अनिवार्यता भी अनुभव की गई।

संघर्ष का एक मुख्य कारण अनुष्ठानों में योगदान को लेकर था। एक ओर जहाँ ब्राह्मण इन कार्यों के विशेषज्ञ तथा पवित्र भाषा और नियमों के ज्ञाता होने के कारण अपने ऊँचे होने का दावा करते थे, वहीं दूसरी ओर क्षत्रिय इन अनुष्ठानों के संरक्षक होने के कारण ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को स्वीकार करने को तैयार में नहीं थे। यहाँ पर एक और जटिल समस्या थी कि ब्राह्मण अपने को ऊँचे और प्रतिष्ठित कुल का होने के कारण अपने को क्षत्रियों से श्रेष्ठ मानते थे जबकि क्षत्रियों का यह कहना था कि हम दानकर्ता एवं दानदाता होने के कारण श्रेष्ठ हैं। दान लेने वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं? इन्हीं कारणों से भौतिक संसाधनों में भागीदारी का भी जटिल प्रश्न उत्पन्न हो गया। ब्राह्मणों की दृष्टि में धन-सम्पत्ति का अधिक महत्त्व था जिसमें सोना, चाँदी, पीतल, मवेशी, वस्त्र, स्त्री एवं पुरुष दास, दक्षिणा आदि चीजें सम्मिलित थीं। उदार राजाओं की खूब प्रशंसा होती थी, लेकिन सबसे जटिल समस्या यही थी, जिसका समाधान करना कठिन था कि दान देने वाला क्षत्रिय से दान देने वाले ब्राह्मण कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? इतने संघर्ष और तनाव के बाद भी ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच सुमधुर सम्बन्ध कायम थे, क्योंकि दोनों ही एक-दूसरे पर निर्भरता की अनिवार्यता को अच्छी तरह समझते थे। हालाँकि दोनों के स्वार्थ भिन्न-भिन्न थे लेकिन विस्तृत अनुष्ठानों के लिए राजाओं का पुरोहितों पर निर्भर रहना उनकी अनिवार्यता थी। इसके द्वारा ही राजा के दावों को न्यायसंगत करार दिया जाता था तथा उसे वैधता प्रदान की जाती थी। राजसूय जैसे विस्तृत अनुष्ठानों के बाद पुरोहित द्वारा यह घोषणा की जाती थी कि यजमान अब राजा बन गए हैं। इसके बाद ही लोग राजा के लिए भी अनेक सुअवसरों पर भेंट अर्पित करते थे। इस प्रकार, एक पवित्र वातावरण का निर्माण करने में पुरोहितों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी।

इस काल में एक समुदाय विशेष के लिए 'विस' शब्द का प्रयोग किया जाता था। विस शब्द को वैश्य शब्द का ही एक घटक माना जाता है, जिसमें परिवर्तन करना सबसे महत्वपूर्ण बात थी। राजसूय तथा अश्वमेध जैसे प्रमुख अनुष्ठानों के अवसरों पर यजमान को अभिषेक के द्वारा पवित्र करके विस का राजा घोषित कर दिया जाता था। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जैसी विशिष्ट जातियों से अलग एक अविशिष्ट वर्ग के लिए 'विस' शब्द प्रयोग किया जाता था। विस वर्ग के शोषण को वैध माना जाता था। इसकी विस्तृत जानकारी हमें राजा

की विसामत्ता की धारणा से मिलती है, जिसे 'विस-भक्षक' भी कहा जाता है। इससे यह पता चलता है कि विस जो भी संसाधन जुटाता है, राजा उस पर स्वेच्छा से कब्जा कर सकता है। शुरू में विस द्वारा लूटे गए धन में उसे कुछ अंश दे दिया जाता था, लेकिन बाद में वह हिस्सा भी कर वसूली के नाम पर देना बंद कर दिया गया। राजा के पास भी धन एकत्रित करने के लिए न तो कोई नियोजित उपाय थे और न ही उसके पास कर वसूलने के लिए तरीके थे। क्षत्र और विस के बीच के सम्बन्धों को सुनिश्चित करने के लिए अनुष्ठानों जैसे अवसरों का उपयोग किया जाता था। क्षत्रिय राजाओं के अनुसार विस को उनके अधीन रहकर उनका समर्थन करना चाहिए। मंत्र और अनुष्ठानों का प्रयोग प्रायः इसी कार्य को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था। लेकिन ऐसा भी पाया गया है कि अनुष्ठानों में किए गए प्रयोग हमेशा ही सफल नहीं होते थे। दूसरी ओर यह भी भय बना हुआ था कि कहीं विस क्षत्रियों के अत्याचारों से तंग आकर उन्हें छोड़कर भाग न जाएँ। अगर राजा के अत्यधिक शोषण के कारण राज्य की जनता राज्य से पलायन कर जाए, तो ऐसे में राजा के पास संसाधनों, श्रम एवं सैनिकों का अभाव हो जाएगा।

परवर्ती वैदिक ग्रन्थों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें राजसूय, अश्वमेध तथा वाजपेय जैसे कठिन अनुष्ठानों की विधि और विधान का विस्तृत वर्णन दिया गया है। अब हमें इस बात पर विचार करना है कि इन धार्मिक अनुष्ठानों का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो यह एक लंबी प्रक्रिया थी। अश्वमेध यज्ञ की प्रक्रिया यह थी कि इसमें एक सैनिक दस्ते के साथ एक घोड़े को एक वर्ष तक घूमते रहने के लिए खुला छोड़ दिया जाता था और बलि-स्थल पर इस काल में राजा की परम्परा से सम्बन्धित अनुष्ठान और सस्वर पाठ जारी रहता था। दूसरी बात यह थी कि इस प्रकार के विस्तृत अनुष्ठानों के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इन संसाधनों में अनुष्ठान में शामिल लोगों के लिए भोजन और आवास की व्यवस्था, बलि के लिए पशु तथा बलि देने वाले की व्यवस्था पुरोहितों के लिए भोजन तथा दक्षिणा की व्यवस्था आदि आते थे। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये सभी अनुष्ठान सत्ता संघर्ष तथा एक प्रथा विशेष से जुड़े होते थे। जैसे कि वाजपेय की सबसे महत्वपूर्ण रथ दौड़ होती थी, जिसका अन्त अनिवार्य रूप से यजमान की विजय के साथ ही होता था। इसी तरह राजसूय के दौरान जो जुआ (धूत क्रीड़ा) होता था उसमें यजमान की जीत सुनिश्चित होती थी। इस तरह संघर्षों को प्रथाओं के साथ जोड़ने का कारण यह था कि इसमें परिणाम राजाओं एवं शासकों के पक्ष में पहले से ही तय होता

4 / NEERAJ : भारत में राजनैतिक संरचनाएँ

था, जिसे ईश्वरीय कृपा से जोड़ दिया जाता था। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन अनुष्ठानों के द्वारा संभावित राजा अपनी शक्ति और संसाधनों का प्रदर्शन करता था। यह प्रदर्शन विभिन्न प्रकार से किया जाता था, जैसे राजा को राजसिंहासन पर बैठाना तथा उसका जल से अभिषेक करना आदि। इस प्रक्रिया में जल छिड़कने के लिए जो पात्र होता था, वह भी एक विशेष प्रकार का होता था, जिसके विषय में विस्तृत वर्णन दिया गया है। ज्यादातर वे ही लोग पात्र होते थे, जो पुरोहित या यजमान के रिश्तेदार और विश्वासपात्र होते थे और साथ-ही-साथ वह विस का प्रतिनिधित्व भी करता था। अभिषेक के बाद राजा की विधिवत घोषणा की जाती थी। घोषणा के बाद वह व्यक्ति विस का राजा बन जाता था और उसे 'विस' को खाने तक का अधिकार मिल जाता था, जबकि ब्राह्मण राजा की अधीनता से परे होते थे। इतना ही नहीं राजा की तुलना इन्द्र, प्रजापति, देवताओं-सोम, वरुण देवता आदि से की जाती थी। इन प्रक्रियाओं से यह स्पष्ट है कि राजा को देवता का दर्जा प्रदान कर दिया जाता था, जिससे कि जनता के बीच में उसका आदर और भय व्याप्त रहे। इन धार्मिक अनुष्ठानों का कितना प्रभाव पड़ता था। इसका निर्धारण करना कठिन है। कुछ लोगों पर अनुष्ठानों का प्रभाव पड़ता था, लेकिन कुछ लोगों की प्रतिक्रिया अनभिज्ञ थी। जिन लोगों के द्वारा इन अनुष्ठानों के लिए संसाधन जुटाए जाते थे, उनकी दृष्टि में यह प्रक्रिया संसाधनों की बर्बादी से जुड़ी हुई थी। उपनिषदिक, जैन एवं बौद्ध परम्पराओं में इन अनुष्ठानों की निर्भरता के विषय में विस्तृत चर्चा की गई है जिससे स्पष्ट होता है कि कुछ क्षत्रिय भी इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों के विरोधी थे। दूसरे, इस प्रकार के अनुष्ठान सामाजिक वर्गों की अधीनता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए जाते थे। उदाहरण के लिए, अश्वमेध में पशुओं की बलि इसलिए दी जाती थी कि इससे महिलाएँ आदि जैसे सामूहिक समूह अधीनता में रह सकें। हो सकता है कि इन समूहों ने अधीनता स्वीकार करने से इन्कार करके इन अनुष्ठानों से अपने को अलग कर लिया होगा। जो भी हो लेकिन ये अनुष्ठान पूरी तरह समाप्त नहीं हुए। राजनैतिक सत्ता प्राप्त करने और उसे वैधता प्रदान करने के लिए इन अनुष्ठानों का प्रयोग किया जाता रहा।

राजसूय के अन्तर्गत रत्निनामहविंशी नामक एक अभूतपूर्व अनुष्ठान होता था, जिसके अन्तर्गत राजा को दस-बारह पुरुषों तथा स्त्रियों के समूह से जाकर मिलने का अवसर प्राप्त होता था। राजा इन लोगों के घरों में जाकर उन्हें विभिन्न प्रकार के उपहार देकर उनका सहयोग प्राप्त करता था। इस प्रकार के विशिष्ट लोग प्रशासन

प्रणाली के केन्द्रबिन्दु हुआ करते थे। इनकी भागीदारी अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में होती थी और ये लोग ही अश्वमेध में बलि के अश्व की रक्षा करते थे। इन लोगों को रत्निनाम कहा जाता था और पुरोहित या ग्रामीण होते थे। इनके अतिरिक्त सारथी या सूत, राजा के विश्वासपात्र साथी जो राजा के अभियानों में शामिल होते थे, तथा विशेष अवसरों पर वीरता की कहानी सुनाने वाले लोग भी शामिल होते थे। इसके अलावा सेनानी, सेनानायक, संसाधनों को जुटाने वाले संगृहित्रों की चर्चा भी ग्रन्थों में उल्लिखित है। ग्रन्थों में शासकों की पत्नियों, जिनमें प्रमुख पत्नी-महिषी, वावाता या प्रिय पत्नी, परित्यक्ता पत्नी का भी उल्लेख मिलता है। इन महिलाओं को राज्य की समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक माना जाता था। ये विश्वास सम्बन्ध राजनैतिक सत्ता को भी सुदृढ़ करने का एक तरीका था। कुछ स्त्रियों की धार्मिक अनुष्ठानों, विशेष रूप से बलि अनुष्ठान में विशेष भूमिका होती थी। अगर अश्वमेध में महिषी की उपस्थिति होती थी, तो इसे राज्य में उर्वरता के लिए शुभ माना जाता था।

प्रश्न 2. आरम्भिक ऐतिहासिक काल में तमिलकम में उभरे मुखियातन्त्रों की प्रकृति की विवेचना कीजिए।

उत्तर-तमिल वीर साहित्य के अध्ययन से हमें तमिलकम में मुखियातन्त्रों की प्रकृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि मुखियातन्त्र की संरचना और तमिल वीर साहित्यिक परम्परा का जन्म एक ही साथ तमिलकम में हुआ था। अशोक के शिलालेख जो तीसरी सदी ई.पू. के हैं, में सतियापुत अतियमान के साथ-साथ तमिल क्षेत्र में प्रमुखों, जैसे-चेर, चोल, पाण्ड्य (केरलपुटा, चोड़ा तथा पाण्ड्या) का भी वर्णन है। तमिल मुखियातन्त्र दूसरी सदी ई.पू. से ही अस्तित्व में था, जो तीसरी सदी के अन्त तक कायम था, इस बात की पुष्टि तमिल वीर साहित्यिक रचनाओं, तमिल, ब्राह्मी अभिलेखों तथा यूनानी और रोमन भूगोलशास्त्री (टाल्मी एवं टिलनी) में वर्णित तथ्यों से होती है। मुखिया तंत्रों की सामाजिक-आर्थिक प्रक्रिया के पुरातत्वीय प्रमाणों से हमें पता चलता है कि पहली ई.पू. सहस्राब्दी के मध्य में लोहा प्रयोग करने वाली संस्कृति थी, जिसकी प्रमुख विशेषता महापाषाणी स्मारक हैं। महापाषाणी कब्रों तथा तमिल वीर काव्यों से सम्बन्धित दस्तावेज एक साथ ही पाए गए हैं। इन दोनों संस्कृतियों को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। इस काल में लोग अपने जीवनयापन के लिए समान सांस्कृतिक प्रथाओं द्वारा आपस में एक-दूसरे से जुड़े हुए थे। मुखियातन्त्रों की सत्ता के विभिन्न स्तरों का वर्णन कविताओं में पाया जाता है। इससे यह भी पता चलता है कि सत्ता का बँटवारा छोटे तथा